भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 880

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

टोल क्षेत्र प्रभावित गाँव

880. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि लालहेड़ी गांव के निवासियों को भगन और लारसोली के बीच स्थित टोल प्लाजा के कारण अपने दैनिक आवागमन में वित्तीय और समय संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि लालहेड़ी गांव टोल के प्रभाव क्षेत्र में आता है और क्या इसे स्थानीय पास श्रेणी में शामिल करने या इसे पूरी तरह से टोल-मुक्त बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास स्थानीय निवासियों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करने, मासिक पास प्रणाली में सुधार करने या इस टोल प्लाजा पर गांव को टोल-मुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) लालहेड़ी गांव भगन शुल्क प्लाजा से लगभग 6-7 किमी दूर स्थित है।

फीडबैक के आधार पर, शुल्क प्लाजा से होकर दैनिक आवागमन में कोई कठिनाई नहीं देखी गई है।

शुल्क प्लाजा पर यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के तहत फास्टैग के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के लिए 15/16 फरवरी 2021 की आधी रात से राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग लेन के रूप में पहले ही घोषित कर चुकी है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के लिए विभिन्न प्रावधान हैं। शुल्क प्लाजा के 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले वैध फास्टैग वाले गैर-वाणिज्यिक वाहनों के चालक या मालिक 340.00 रुपये प्रति कैलेंडर माह का भुगतान करके वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

निर्दिष्ट शुल्क प्लाजा को पार करने के लिए मासिक पास प्राप्त कर सकते हैं तथा इसे एनएच शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यदि कोई सर्विस रोड उपलब्ध न हो तो दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर और पशु चलित वाहनों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग जैसा भी मामला हो, के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने देश भर में 15 अगस्त 2025 से प्रभावी गैर- वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में एक वार्षिक पास का प्रावधान आरंभ किया है। इस प्रावधान के अनुसार, गैर- वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए यांत्रिक वाहन रखने वाला व्यक्ति, जिसके पास वैध और कार्यात्मक फास्टैग है, तीन हजार रुपये के शुल्क के भुगतान पर पास प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शुल्क प्लाजा पर एक वर्ष के लिए या दो सौ क्रॉसिंग के लिए, जो भी पहले हो, मान्य होगा।

एनएच शुल्क नियमावली के तहत उपरोक्त सुविधाएं, लालहेड़ी गॉव के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं।

लालहेड़ी गांव के पात्र निवासियों के लिए एनएच शुल्क नियमावली के अनुसार भगन शुल्क प्लाजा पर मासिक पास जारी किए जा रहे हैं।

*****